न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 23/2026 बउनवानी अशोक कुमार चन्देल बनाम अति.जिला कलेक्टर स0मा0
निवासी ब्रहमपुरी मोहल्ला शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/26

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
4.3..2026	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 23.12.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर **" प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2025 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को दिये गये प्रार्थना पत्र एवं उस पर दिये गये स्मरण पत्रों पर आज दिनांक तक जनसुनवायी मे जिस कारण ,आदेश, नियम परिपत्र, गजट के कारण जनसुनवायी मे नही लिया गया जिसके कारणों की प्रमाणित प्रति "** अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकःएफ.13(01)(190)सूकाअ/2025/170 दिनांक 12.02.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12..2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 1536—38 दिनांक 24.12.2025 से उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाने बाबत प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग एवं सम्पर्क अनुभाग को लिखा जाने पर उक्त दोनो अनुभागों से कमश प्रभारी अधिकारी राजस्व से 3 पृष्ठों की एवं प्रभारी अधिकारी सम्पर्क से 8 पृष्ठों की सूचना प्राप्त की जाकर लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 16 दिनांक 7.1.2026 के द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अपीलान्ट का अन्तिम स्मरण पत्र प्राप्त होने पर जरिय पत्रांक 85 दिनांक 27.1.26 से सूचना अपीलान्ट को पुनः भिजवायी जा चुकी है।

अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि चाही गयी सूचना स्पष्ट व पठनीय नही है इसलिए चाही गयी सूचना स्पष्ट, पठनीय मयसील के प्रमाणित उपलब्ध करवायी जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व/सम्पर्क अनुभाग से प्राप्त की जाकर अपीलान्ट को कमश पत्रांक 16 दिनांक 7.1.2026 एवं 85 दिनांक 27.1.2026 द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। किन्तु उपलब्ध सूचना अपठनीय होने बाबत अपीलान्ट द्वारा आपत्ति की है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि चाही गयी सूचना स्पष्ट, पठनीय उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner